(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 183 / 2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022 / 148

बउनवान

भरोसी बाई आयु 60 वर्ष पुत्री ग्यारस्या पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति बैरवा निवासी बडौदिया तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ
2. कजोड पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी बडौदिया तहसील छबडा जिला बारॉ
3. कन्हैया लाल पुत्र किशना बैरवा निवासी बडौदिया हाल निवासी लकडाई तहसील किशनगंज जिला बारॉ
4. हीरा लाल पुत्र किशना बैरवा निवासी बडौदिया हाल निवासी लकडाई तहसील किशनगंज जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्व तहसीलदार छबडा के तस्दीकी नामान्तरकरण क्रमांक 392 दिनांक 20.07.2016 वाके ग्राम बडौदिया तहसील छबडा अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री हेमराज बैरवा अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री अरविन्द बघेरवाल अभिभाषक (रेस्पो. क्रम 2 ता 4)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 1)

निर्णय दिनांक 29.07.2022

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के तस्दीकी नामान्तरकरण क्रमांक 392 दिनांक 20.07.2016 ग्राम बडौदिया तहसील छबडा से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 09.05.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे रेस्पो. क्रम 2 ता 4 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई एवं रेस्पो. क्रम 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:56 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौरान बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि यह आराजियात खसरा नम्बर 53/229 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 202 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 202 / 226 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 203 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल 6 किता कुल रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बडौदिया पटवार हल्का झरखेडी तहसील छबडा मे स्थित है। जो पूर्व मे गोमदा के नाम दर्ज थी। जिसका वंशवृक्ष निम्न प्रकार है :– गोमदा (मृतक) का पुत्र किशना (मृतक) जिसके पुत्र कन्हैयालाल एवं हीरालाल गोमदा का दूसरा पुत्र गंगोलिया (मृतक) जिसके पुत्र ग्यारस्या (मृतक) उसकी पुत्री भरोसी बाई अपीलांट गंगोलिया (मृतक) का दूसरा पुत्र जगन्नाथ लाऔलाद फोत हुआ है।

यह कि अपीलांट के पिता श्री ग्यारस्या व जगन्नाथ दोनो सगे भाई थे, जगन्नाथ की मृत्यु नाबालिग अवस्था मे हो चुकी थी जिसका ना तो विवाह हुआ था और ना ही कोई संतान थी, एवं रेस्पो0 क्रम 3 व 4 के पिता श्री किशना व अपीलान्टा के दादाजी गंगोलिया दोनो सगे भाई थे। इस प्रकार अपीलांटा व रेस्पो क्रमांक 3 व 4 के 1/2, 1/2 हिस्से आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे थे तथा वर्तमान मे उक्त आराजियात पर अपीलांटा व रेस्पो0 क्रमांक 3 व 4 का ही कब्जा काश्त है।

यह कि रेस्पो0 क्रम 2 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, छबडा के यहॉ एक बनावटी दावा पेश कर उक्त वाद को राजस्व शिविर मे फैसल करवाकर उक्त डिक्री के आधार पर इन्तकाल नम्बर 392 दिनांक 20.7.2016 को शिविर केम्प छबडा मे तस्दीक करवाया गया है। उक्त इन्तकाल नोट पर बिना सील मोहर के तस्दीक किया हुआ है। इस आधार पर रेस्पो0 क्रमांक 2 द्वारा मिली भगत करके इन्तकाल तस्दीक करवाकर उक्त आराजियात को हडपने पर आमादा हो रहा है। जबकि अपीलांट के पिता ग्यारस्या द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलांटा के पिता ने न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहॉ एक अपील संख्या 334/2016 दायरा दि. 28.09.2016 पेश की थी जिस पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.11.2017 को पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2016 अपास्त कर दी गई है। जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदिनांक तक नही की गई है। अपीलांट द्वारा तहसील मे कई मर्तबा चक्कर काटने के बावजूद भी इंतकाल को निरस्त नही किया गया है।

यह कि रेस्पो0 क्रम. 2 उक्त इन्तकाल की आड लेकर एस.बी.बी.जे. शाखा छबडा से अपना हिस्सा बताकर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवा लिया है एवं उक्त आराजियात को रेस्पो0 क्रमांक 2 रहन बैचान करके खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। यह कि अपीलांट के काका जगन्नाथ के कोई औलाद ना होते हुये भी रेस्पो0 क्रम 2 फर्जी पुत्र बनकर अपीलांट की 1/3 आराजी को हडपने के लिये आमादा हो रहा है। इसलिये राजस्व शिविर केम्प मे खोले गये इन्तकाल क्रमांक 392 दिनांक 20.07.2016 को निरस्त किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित मे होगा।

यह कि अपीलांट द्वारा उक्त इन्तकाल संख्या 392 की जानकारी पटवारी से नकल लेने पर दिनांक 29.04.2022 को हुयी। इसलिये इन्तकाल आदेश दिनांक 20.07.2016 से जानकारी दिनांक 29.04.2022 तक का समय अपील की अवधि मे से मुजरा किये जाने पर अपील अवधि मध्य पेश है तथा दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय ग्राम पंचायत फतेहपुर द्वारा खोला गया इन्तकाल नमबर 392 दिनांक 20.07.2016 निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड से रेस्पो0 क्रम 2 का नाम डिलीट किया जाकर 1/3 हिस्से आराजी पर अपीलांटा का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:56 IST
Reason: SeniAttested

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक कहा गया कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो मे सिर्फ अंगूठा निशानी करवाई गई है जिस पर यह अंकित नही किया गया है कि उक्त अंगूठा निशानी किस व्यक्ति की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया इंतकाल नम्बर 392 दिनांक 20.7.2016 वाके ग्राम बडौदिया तहसील छबडा जिला बारॉ उपखण्ड अधिकारी, छबडा के न्यायालय के मिसल नम्बर 194/2011 मे पारित डिक्री आदेश का निर्णय दिनांक 18.06.2016 की पालना मे खोला गया है जो सही खोला गया है। वर्तमान मे दोनो पक्षों के मध्य उपखण्ड न्यायालय, छबडा में वाद विचाराधीन है जिसमें निर्णय पारित होने पर निर्णयानुरूप कार्यवाही की जावेगी। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल नम्बर 392 दिनांक 20.07.2016 वाके ग्राम बडौदिया तहसील छबडा खोला गया जो उपखण्ड अधिकारी, छबडा के न्यायालय के मिसल नम्बर 194/2011 मे पारित डिक्री आदेश की निर्णय दिनांक 18.06.2016 की पालना मे खोला गया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 28.09.2016 को न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसकी प्रकरण संख्या 334/2016 है। उक्त अपील मे पारित निर्णय दिनांक 16.11.2017 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा को प्रतिप्रेषित की गई जो वर्तमान मे न्यायालय मे जैरकार होना उभयपक्ष द्वारा अवगत करवाया गया। प्रकरण में इंतकाल दिनांक 20.07.2016 को खोला गया है एवं उपखण्ड न्यायालय के आदेश की अपील उसके बाद दिनांक 28.09.2016 को प्रस्तुत की गई है जिसमे यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझता है।

अतः परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **29.07.2022** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:39:56 IST
Reason: SelfAttested